न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

<u>मूल वाद संख्याः 12 सन् 2018</u>

श्रीमती शांति देवी............बनाम............हरनाम सिंह।।

वाद प्रस्तुत करनें का दिनांक	: 24.01.2018.
वाद का प्रकार	: स्पेसीफिक परफार्मेंस एवं स्थाई निषेधाज्ञा.
अधिवक्ता वादी	: श्री सुबोध कुमार मिश्रा, एडवोकेट.
अधिवक्ता प्रतिवादी	:

<u>दिनांकः 24.01.2018</u>

आज यह वाद मुन्सरिम की आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ। आख्या का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते दाखिल करने प्रतिवाद पत्र दिनांक:12.02. 2018 तथा बनाये जाने वाद बिन्दु दिनांक:05.03.2018 को पेश हो। वादिनी प्रतिवादी के लिए आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें।

सिविल जज,(जू0डि0), बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।

<u>दिनांकः 24.01.2018</u>

प्रार्थना पत्र 6ग पर एक पक्षीय रूप से वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और संलग्न शपथ पत्र 7ग व सूची 8ग से दाखिल मूल बैनामा व उद्धरण खतौनी आदि प्रपत्रों का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद स्पेसीफिक परमार्मेंस एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को सुने बिना वादिनी के पक्ष में एक पक्षीय रूप से निषेधाज्ञा जारी करनें का पर्याप्त आधार नही है। प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग दिनांक 12.02.2018 को पेश हो।

सिविल जज,(जू0डि0), बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।